राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान)

(बईजलास : श्री चेतन देवड़ा, आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 02/2019

दायर दिनांकः–24.01.2019
फैसल दिनांकः–27.02.2019

श्रीमान् नाथूलाल पिता बादर पाटीदार, निवासी गामडा बामणिया, तहसील सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज0)

प्रार्थी/अपीलान्ट

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सागवाडा वगैरा–2 तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज0)

अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति–1. श्री दिनेश चौबीसा, एडवोकेट – अपीलान्ट
श्री राजेन्द्र भण्डारी, एडवोकेट
2. पैरोकार सरकार – रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा – 91
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार सागवाडा
दिनांक 26.12.2018 प्रकरण संख्या 05/2018

– निर्णय –

यह अपील अपीलार्थी की ओर से विरूद्ध विपक्षी के इस आशय की पेश की हैं कि रेस्पोडेन्ट (तहसीलदार सागवाडा) के प्रकरण संख्या 05/2018 निर्णय दिनांक 28.12.2018 के द्वारा मौजा गामडा बामणिया की आ.नं. 2797 रकबा 01–08 बीघा किस्म बिलानाम भूमि में से रकबा 00–01 बीघा भूमि पर 40 वर्षो से पुराने कब्जे पर धारा–91 एल.आर.एक्ट के तहत मौके से बेदखल, सिविल कारावास एवं जुर्माना के पारित आदेश से असंतुष्ट होकर धारा 75–76 एल.आर.एक्ट उक्त आदेश अपास्त कराने हेतु पेश की हैं।

प्रकरण का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गामड़ा बामणिया द्वारा ग्राम गामडा बामणिया की आ.नं. 2797 रकबा 01–08 बीघा में से 00–01 बीघा भूमि अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण कर परकोटा व छप्पर बनाकर अतिक्रमण किया जा रहा हैं। अपीलार्थी के अतिक्रमण से मौके पर आने–जाने का रास्ता अवरूद्ध होने से उनके विरूद्ध धारा–91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही हेतु विपक्षी संख्या 2 द्वारा तहसीलदार सागवाडा को रिपोर्ट पेश की गई। उक्त रिपोर्ट पर अपीलार्थी के विरूद्ध दिनांक 26.12.2018 के विरूद्ध आदेश पारित किया गया कि आराजी नंबर 2797 रकबा 01–08 बीघा बिलानाम रास्ते में से रकबा 00–01 बीघा पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने व लगान रूपया 0.05 का 50 पेनाली रूपया 3.00 वसूल करने तथा सर्वाजनिक रास्त के उपयोग की भूमि

27/2/19

Scanned by CamScanner

होने से धारा 91 के नियम–3 एल.आर.एक्ट के तहत 3 माह का सिविल कारावास से दण्डित किया गया हैं। अपीलान्ट की गिरफ्तारी वारण्ट थानाधिकारी सागवाडा को भेजा गया है। अपीलार्थी ने अपील में अंकित किया हैं कि उनका विवेचित भूमि पर 40 वर्षो से कब्जा चला आ रहा हैं तथा उनके पिता के जीवनकाल में पूर्वजों के समय से गांव की आबादी भूमि में रिहायशी हेतु मकान बना हुआ है। उक्त आबादी भूमि का बापी पट्टा संख्या 53 दिनांक 24.11.2010 द्वारा ग्राम पंचायत गामडा बामणिया द्वारा जारी किया गया हैं तथा पट्टे का पंजीयन दिनांक 02.08.2013 को करवाया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रतिलिपि अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं कराई गई है एवं पटवारी हल्का के बयान अपीलार्थी की उपस्थिति में नहीं लिये गये हैं, जिससे प्रकरण में जिरह का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना कर आदेश पारित किया है। अपीलार्थी द्वारा अपील में यह भी अंकित किया है कि विवेचित भूमि ग्राम की आबादी भूमि होने से अधिनस्थ न्यायालय को धारा–91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही करने का अधिकार नहीं हैं, तथापि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने में भारी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को जवाब प्रस्तुत करने के उपरान्त साक्ष्य/प्रमाण पेश करने का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं। उक्त स्थिति में अपीलार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने का अनुरोध किया हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। साथ ही अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सागवाडा से इस प्रकरण की मूल पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत न कर बहस में तथ्य प्रकट करने का अनुरोध किया। प्रकरण में पक्षकारों की बहस समायत की गई। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा अपील में अंकित तथ्यों की पुनारावृत्ति की गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में बताया है कि अपीलार्थी का ग्राम गामडा बामणिया की आ.नं. 2797 में रास्ते की राजकीय भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं किया हैं। ग्राम गामड़ा बामणिया की विवेचित आराजी नंबर 2797 में ग्राम पंचायत गामडा बामणिया द्वारा बापी पट्टा संख्या 53/24.11.2010 को जारी किया गया हैं। अपीलार्थी का 40–45 वर्ष पूर्व का मकान बना हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आबादी भूमि में अपीलार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बिना ही साक्ष्य एवं सबूतों के अभाव में बैदखली, अर्थदण्ड एवं 3 माह का सिविल कारावास से दण्डित करना विधि विरूद्ध होना बताया गया। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अनुरोध किया हैं कि विवेचित आराजी नंबर 2797 में से रकबा 00–01 बीघा बिलानाम रास्ते की भूमि पर मौका जांच करने के उपरान्त यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो वह हटा दिये जाने का अनुरोध किया गया। अपीलार्थी विद्वान अभिभाषक के अनुरोध पर तहसीलदार सागवाडा को विवेचित भूमि की मौका जांच कर रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार सागवाडा ने उनके पत्र क्रमांक 159 दिनांक 13.02.2019 द्वारा विवेचित भूमि की

22/2/15

Scanned by CamScanner

मौका जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तहसीलदार सागवाडा की रिपोर्ट अनुसार विवेचित आराजी नंबर 2797 रकबा 01–18 बीघा विलानाम रास्ते की भूमि पर रास्ते की चौड़ाई के अनुसार रकबा 00–01 बीघा भूमि पर अपीलार्थी का परकोटा एवं झौपडे के रूप में अतिक्रमण पाया गया, जिसे अतिक्रमी अपीलार्थी स्वेच्छा से हटाने हेतु सहमती व्यक्त की गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा पूर्ववर्ती वर्षो में विवेचित भूमि से अपीलार्थी को धारा–91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही कर वेदखल की इजराय के अभाव में सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाना विधि विरूद्ध हैं। उक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने का अनुरोध किया गया।

राजकीय पैरोकार ने बहस में बताया है कि अपीलार्थी द्वारा विवेचित राजकीय बिलानाम भूमि रकबा 00–01 बीघा पर परकोटा व झौपड़े के रूप में अतिक्रमण कर आवागमन के रास्ते को अवरूद्ध किया हैं, जो अतिचार की श्रेणी में आता हैं। रेस्पोडेन्ट तहसीलदार सागवाडा द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध नियमानुसार धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाकर निर्णय पारित किया हैं, जो विधि अनुरूप हैं। पैरोकार सरकार ने प्रार्थी की अपील खारीज कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखने का अनुरोध किया गया।

हमारे द्वारा पक्षकारों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि पटवारी हल्का गामडा बामणिया की रिपोर्ट पर रेस्पोडेन्ट (तहसीलदार सागवाडा) ने अपीलार्थी के विरूद्ध धारा–91 के तहत प्रकरण संख्या 05/2018 दर्ज कर ग्राम गामडा बामणिया की आ.नं. 2797 रकबा 01–08 बीघा बिलानाम रास्ता में से 00–01 बीघा भूमि पर अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 28.12.2018 से अपीलार्थी को मौके से बेदखली जुर्माना व 3 माह का सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गय हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलार्थी द्वारा पूर्व के वर्षो में विवेचित भूमि पर अतिक्रमण करने से धारा–91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही कर मौके से बेदखल करने का कोई उल्लेख नहीं होने से अपीलार्थी के 3 माह के सिविल कारावास का दण्ड देने में कठोरता बरती गई हैं। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट तहसीलदार सागवाडा से विवेचित आराजी नंबर 2797 पर अपीलार्थी के अतिक्रमण की रिपोर्ट तलब की गई हैं, जिसमें अपीलार्थी द्वारा विवेचित आराजी में किये गये अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाने हेतु सहमती व्यक्त की हैं। अपीलार्थी की ओर से उनके विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थना–पत्र पेश कर अवगत कराया है कि उनके द्वारा विवेचित आराजी संख्या 2797 में अतिक्रमण हटा दिया गया हैं। इससे स्पष्ट हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम गामडा बामणिया की आ.नं. 2797 रकबा 01–08 बीघा किस्म रास्ता में से 00–01 बीघा भूमि पर अपीलार्थी के विरूद्ध पारित मौके से बेदखली आदेश दिनांक 18.12.2018 की पालना हो गई हैं। उक्त स्थिति में प्रार्थी की अपील

27/5/19

Scanned by CamScanner

आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नरमी का रूख बरतते हुए अपीलार्थी को 3 माह सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.12.2018 में अपीलार्थी को 3 माह के सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाता हैं तथा अपीलार्थी के विरूद्ध विवेचित आराजी में अतिक्रमण से बेदखली व अर्थदण्ड का पारित निर्णय यथावत रखा जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सागवाडा अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण/अवैद्य निर्माण हटाने की सहमती की पुष्टि कर विवेचित भूमि पर अतिक्रमण न पाया जाने की सुनिश्चितता करें।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की गई।

(चेतन देवड़ा)
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर

Scanned by CamScanner